पीठासीन अधिकारी :– **मुकेश बारेठ** आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 26/2018

1. कुलवन्त सिंह पुत्र श्री रामजीलाल जाति जाट निवासी 4 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।

— — वादी

–:: बनाम ::–

1. विजय सिंह पुत्र श्री रामजीलाल जाति जाट निवासी 4 सी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल पिंड सिवाना उरफ झुगिया तहसील व जिला फाजिल्का (पंजाब)।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।
3. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा 15 जैड

— — प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. घोषणा, विभाजन

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री संजय जनवेजा अधिवक्ता	वादी
2. श्री रोबिन कुमार गुम्बर	प्रतिवदी संख्या–1
3. पैरोकार राज	प्रतिवादी संख्या 3

–:: निर्णय ::– दिनांक :–

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादी संख्या 1 वादी का सगा भाई है। वादी एवं प्रतिवादी को अपने परिवार की उत्तराधिकारी से वाके चक 14 ए एफ तहसील व जिला श्रीगंगानगर में व पिड सिवाना उर्फ झुगिया तहसील व जिला फाजिल्का में कृषि भूमि प्राप्त हुई है, जो कि वादी एवं प्रतिवादी की पैतृक भूमि है तथा वादी एवं प्रतिवादी द्वारा पैतृक भूमि की आय से भूमि अर्जित भी की है जो कि वादी एवं प्रतिवादी के नाम से दर्ज कागजात है। चक 14 ए एफ तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 8/8 के मुरब्बा नम्बर 39 की 1.466 हैक्टेयर भूमि वादी के नाम से व इसी चक के खाता संख्या 52/47 के मुरब्बा नम्बर 39 व 40 की 2.656 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज कागजात है। तथा पंजाब में पिंड सिवाना उर्फ झुगिया तहसील व जिला फाजिल्का के खाता संख्या 12/12 में 14 कनाल 19 मरला व खाता 220/190 में 64 कनाल 7 मरला, भूमि वादी के नाम से तथा खाता संख्या 10/12 में 33 कनाल 19 मरला भूमि व खाता संख्या 11/11 में 28 कनाल 19 मरला भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज कागजात है। उक्त समस्त सम्पत्ति वादी एवं प्रतिवादी की पैतृक व संयुक्त पैतृक सम्पत्ति की आय से अर्जित सम्पत्ति है तथा पूर्व में वादी एवं प्रतिवादी का कब्जा भी साझा चला आ रहा था, अब वादी एवं प्रतिवादी के परिवार बड़े होने के कारण वादी परिवार सहित राजस्थान में व प्रतिवादी संख्या 1 परिवार सहित पंजाब में निवास करता है। वादी एवं प्रतिवादी ने काफी समय पूर्व अपनी पारस्परिक सहमति से उक्त भूमि का

...की समस्त भूमि तथा प्रतिवादी संख्या 1 को पंजाब की समस्त भूमि प्राप्त हुई तथा वादी मौका पर राजस्थान में वाके चक 14 ए एफ तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 8/8 के मुरब्बा नम्बर 39 की 1.466 हैक्टेयर भूमि इसी चक के खाता संख्या 52/47 के मुरब्बा नम्बर 39 व 40 की 2.656 हैक्टेयर भूमि व प्रतिवादी पंजाब में पिंड सिवाना उर्फ झुगिया तहसील व जिला फाजिल्का के खाता संख्या 12/12 में 14 कनाल 19 मरला व खाता 220/190 में 64 कनाल 7 मरला भूमि वादी के नाम से तथा खाता संख्या 10/12 में 33 कनाल 19 मरला भूमि व खाता संख्या 11/11 में 28 कनाल 19 मरला भूमि भूमि पर काबिज चला आ रहा है तथा इसी घरू बंटवारानामा अनुसार वादी एवं प्रतिवादी अपने अपने रकबा पर काबिज हैं तथा काश्त कर रहें हैं। राजस्व रिकार्ड में अभी तक चक 14 ए एफ तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 52/47 के मुरब्बा नम्बर 39 व 40 की 2.656 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से तथा पंजाब की भूमि वादी के नाम चली आ रही है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी को कहा हुआ है कि जब भी तुम चाहोगे, सहमति से रकबा तुम्हारे नाम करवा दूंगा। इस विश्वास पर वादी ने उक्त रकबा में से अपने हिस्सा में आए रकबा में बड़ी मेहनत करके व काफी रूपया खर्च करके सुधार कार्य करवाया है। अब उक्त रकबा काफी उपजाउ व कीमती बन चुका है। कुछ दिन पूर्व वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से कहा कि वह वादी के हिस्सा की भूमि वादी के नाम से अमल दरामद करवा देवे तथा अपने हिस्सा की भूमि वादी से अपने नाम करवा लेवे। पहले तो प्रतिवादी संख्या 1 टाल मटोल करता रहा, अब प्रतिवादी के मन में गलत लालच आ गया है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को घरू बंटवारानामा अनुसार व कब्जा अनुसार भूमि नाम करवाने से इन्कार कर दिया है। यही वादी को वाद हेतुक प्राप्त हुआ है। वाद पत्र प्रस्तुत कर वादी द्वारा वाद निम्न प्रकार से डिक्री किये जाने बाबत निवेदन किया :-

(1) चक 14 ए एफ तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 52/47 के मुरब्बा नम्बर 39 व 40 की 2.656 हैक्टेयर का वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि वादी के नाम से दर्ज करवाई जाकर वादी के नाम से लगान कायम करने का आदेश फरमाया जावे।

(2) स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जावे कि प्रतिवादी, वादी के कब्जा में किसी प्रकार की मदाखल न करे व मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

(3) अन्य कोई अनुतोष वादी के पक्ष में हो तो वादी को दिया जावे।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 जरिए अधिवक्ता दिनांक 02.04.2019 को न्यायलय में उपस्थित होकर वादी एवं प्रतिवादी की आपसी सहमति सें राजीनामा प्रस्तुत किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में अंकित कथनों के अनुसार इस प्रकरण में गांव के मौजिज व्यक्तियों ने प्रथम पक्ष वादी एवं द्वितीय पक्ष प्रतिवादी का आपस में राजीनामा करवा दिया है, अब वादी एवं प्रतिवादी के मध्य कोई विवाद नहीं रहा है। राजीनामा व घरू बंटवारानामा के अनुसार वादी को राजस्थान की समस्त भूमि तथा प्रतिवादी को पंजाब की समस्त भूमि प्राप्त हुई है तथा वादी मौका पर राजस्थान में वाके चक 14 ए एफ तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 8/8 के मुरब्बा नम्बर 39 की 1.466 हैक्टेयर भूमि इसी चक के खाता संख्या 52/47 के मुरब्बा नम्बर 39 व 40 की 2.656 हैक्टेयर भूमि व प्रतिवादी ...

पिंड सिवाना उर्फ झुगिया तहसील व जिला फाजिल्का के खाता संख्या 12/12 में 14 कनाल 19 मरला व खाता 220/190 में 64 कनाल 7 मरला भूमि वादी के नाम से तथा खाता संख्या 10/12 में 33 कनाल 19 मरला भूमि व खाता संख्या 11/11 में 28 कनाल 19 मरला भूमि भूमि पर काबिज चला आ रहा है तथा इसी घरू बंटवारानामा अनुसार वादी एवं प्रतिवादी अपने अपने रकबा पर काबिज हैं तथा काश्त कर रहें हैं। अतः राजीनामा में अंकित तथ्यों अनुसार चक 14 ए एफ तहसील व जिला श्रीगंगानगर का खाता संख्या 52/47 के मुरब्बा नम्बर 39 व 40 की 2.656 हैक्टेयर का वादी को खातेदार घोशित किया जावे तो इसमें प्रतिवादी को कोई उजर व एतराज ना होगा।

लिहाजा वादी व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा तस्दीक किया गया। दिनांक 10.05.2019 को प्रतिवदी संख्या 2 पैरोकार राज द्वारा उपस्थित होकर स्टेट की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत किया जिसके अनुसार वाद पक्षकारान के आपसी विवाद का है। अतः राज्यहित को ध्यान में रखते हुए प्रकरण का निर्णय पारित किया जावे तो राज्य पक्ष को कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया।

–:: आदेश ::–

बहस उभयपक्ष सुनी गई। वादी एवं प्रतिवादी के मध्य उक्त कृषि भमि के सम्बन्ध में राजीनामा हो चुका है एवं दोनों में आपसी कोई प्रतिवाद नहीं है। अतः वादी एवं प्रतिवादी के मध्य राजीनामा होने के कारण वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वादी एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत आपसी सहमति/राजीनामा अनुसार चक 14 ए एफ तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 52/47 के मुरब्बा नम्बर 39 व 40 की 2.656 हैक्टर का वादी को खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 28.05.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर (राज.)

(मुकेश बारेठ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)